संख्या-189/2018/2731/26-3-2018-05(विविध)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त 2018

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से आच्छादित राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास जनपद-उन्नाव के मरम्मत कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु देय अवशेष धनराशि की वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1039/स0क0/ विकास/छात्रावास-मरम्मत/2018-19, दिनांक-07.08.2018 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-23/2018/447/26-3-2018-05(विविध)/2018, दिनांक-06.02.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से आच्छादित समाज कल्याण विभाग के स्थापित राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास जनपद-उन्नाव में मरम्मत कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार देय कुल अवशेष धनराशि रू0-148.64 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तालिस लाख चौसठ हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	आकलित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अवशेष स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाईपास उन्नाव में वाह्य स्थल विकास कार्य	109.71	54.855	54.855
2	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास बाईपास उन्नाव में मरम्मत कार्य	187.57	93.785	93.785
	योग	**297.28**	**148.64**	**148.64**

(रूपये एक करोड़ अड़तालिस लाख चौसठ हजार मात्र)

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29- अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 पार्ट-। के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-189/2018/2731(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
4- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कोषाधिकारी, उन्नाव।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
10-गार्डफाइल

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।